2006:CGHC:5380

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 376/2003

याचिकाकर्ता : लखन लाल नायक, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री रघुनंदन नायक, ग्राम व पोस्ट देवसुंदरा, व्हाया–पलारी, जिला रायपुर (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादी: 1. गृह मंत्रालय, छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, डी.के.एस. भवन रायपुर

2. गृह मंत्रालय, सचिव, मध्य प्रदेश राज्य, भोपाल।

3. उप सचिव, म.प्र. राज्य गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल।

4. पुलिस महानिदेशक (रेल) मध्य प्रदेश भोपाल।

5. पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री आर.के. जायसवाल।

श्री आलोक बख्शी, शासकीय अधिवक्ता, उत्तरवादी/राज्य।

मौखिक आदेश

(7 फरवरी, 2006)

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो सामान्य रेलवे पुलिस में आरक्षक था। 5 अक्टूबर, 1993 को, याचिकाकर्ता नशे की हालत में पाया गया और उसने प्रकाश माहेश्वरी नामक व्यक्ति और उसके दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार किया। प्रकाश माहेश्वरी और उसके दोस्तों ने उसी दिन सामान्य रेलवे पुलिस, रायपुर में एक

प्राथमिकी (अनुलग्नक पी–1) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर पैसे और शराब की मांग की। याचिकाकर्ता ने भगवान यादव नाम के एक व्यक्ति पर भी हमला किया।

2. दिनांक 5.10.1993 की उक्त एफआईआर के अनुसरण में, पुलिस अधीक्षक, रेलवे, रायपुर ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर सेवा से निलंबित कर दिया कि याचिकाकर्ता ने नशे की हालत में जनता के साथ दुर्व्यवहार किया था और रेलवे स्टेशन, रायपुर में कुछ व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी।

3. 6.11.1993 को आरोप–पत्र जारी किया गया (अनुलग्नक पी–3), जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता 5.10.1993 की रात रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर नशे की हालत में पाया गया था। याचिकाकर्ता ने पुलिस बल के अनुशासन के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए जनता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की और याचिकाकर्ता ने स्वयं को सी.आई.डी. अधिकारी बताकर आम जनता को गुमराह किया।

4. याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.12.1993 के आरोप–पत्र (अनुलग्नक पी–4) का उत्तर पत्र दिनांक 26.12.1993 (अनुलग्नक पी–5) के माध्यम से प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने जाँच अधिकारी को पत्र भेजा कि चूँकि मामला विचारण के लिए सौंप दिया गया है, इसलिए जाँच रोक दी जाए, लेकिन विवेचना जारी रहा। जाँच अधिकारी ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहों की जाँच करने के बाद, दिनांक 8.2.1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप सिद्ध पाए गए। जाँच रिपोर्ट से सहमत होते हुए, रायपुर में रेलवे के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 22.2.1994 के पत्र (अनुलग्नक पी–7) के माध्यम से 22.2.1994 से सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे, भोपाल के समक्ष वैधानिक अपील प्रस्तुत की। पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे, भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 3.10.1994 द्वारा, जांच अधिकारी के निष्कर्षों और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड से सहमत होकर, अपील खारिज कर दी।

7. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि जांच रिपोर्ट को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ–साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, तो इस न्यायालय को अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठना चाहिए और तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि उचित कानून के अनुप्रयोग में विकृति न हो और जांच रिपोर्ट साक्ष्य के आधार पर न हो।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे में दिनांक 20.10.1995 के आदेश (अनुलग्नक पी–33) के तहत उन्हीं आरोपों के आधार पर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कैप्टन एम. पॉल एंथोरी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और अन्य [1] में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि अभियोजन पक्ष का मामला खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है, तो एकपक्षीय विभागीय कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को अनुमति देना अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा और दमनकारी होगा।

10. उत्तरवादीयो की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक बख्शी ने निवेदन किया कि यह याचिका निम्नलिखित आठ वर्षों का अत्यधिक विलंब के बाद दायर की गई है। अपीलीय प्राधिकारी ने 20.10.1995 को आदेश पारित किया और यह याचिका 22.1.2003 को दायर की गई। उत्तरवादीयो के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को बाइज़्ज़त दोषमुक्त नहीं किया गया है, बल्कि उसे इस आधार पर दोषमुक्त किया गया है कि अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता की पहचान साबित करने में विफल रहा है, जिसने नशे की हालत में श्री प्रकाश माहेश्वरी और अन्य लोगों पर हमला किया था। गवाह याचिकाकर्ता की पहचान नहीं कर सके और इसलिए याचिकाकर्ता को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि अभियोजन पक्ष इस मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिवचनों के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है। मेरा विचार है कि कैप्टन एम. पॉल एंथनी (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। कैप्टन एम. पॉल एंथनी (पूर्वोक्त) के मामले में अभियोजन पक्ष को सभी आरोपों से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। वर्तमान मामले में, घटना सिद्ध हो चुकी है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि याचिकाकर्ता नशे की हालत में था और उसने घटना के दिन रायपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जनता के साथ दुर्व्यवहार किया और जनता पर हमला किया। याचिकाकर्ता को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त अर्थात याचिकाकर्ता की पहचान संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

12. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक मुकदमे के लिए साक्ष्य के सख्त प्रमाण की आवश्यकता होती है और विभागीय जांच के लिए साक्ष्य के समान मानक की आवश्यकता नहीं होती है। मामले की पुष्टि करते हुए, जांच अधिकारी ने विस्तार से जांच की है और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा याचिकाकर्ता द्वारा

प्रस्तुत सभी गवाहों की जांच की है तथा जांच रिपोर्ट को अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

13. डिपो मैनेजर, ए.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम मोहम्मद यूसुफ मिया और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

8. हम उपरोक्त दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हैं। विभागीय जाँच और अभियोजन के उद्देश्य दो भिन्न और विशिष्ट पहलू हैं। आपराधिक अभियोजन किसी कर्तव्य का उल्लंघन ऐसे अपराध के लिए शुरू किया जाता है जो अपराधी द्वारा समाज के प्रति किए गए कर्तव्य का उल्लंघन करता है या जिसके उल्लंघन के लिए कानून में यह प्रावधान है कि अपराधी जनता को संतुष्टि प्रदान करेगा। अतः अपराध कानून का उल्लंघन या लोक कर्तव्य का लोप करने का कृत्य है। विभागीय जाँच का उद्देश्य सेवा में अनुशासन और लोक सेवा की दक्षता बनाए रखना है। इसलिए, यह समीचीन होगा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से संचालित और पूरी की जाए। इसलिए, ऐसे अनम्य नियम बनाना वांछनीय नहीं है जिनके तहत अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक मामले में सुनवाई लंबित रहने तक विभागीय कार्यवाही रोकी जा सकती है या नहीं। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना आवश्यक है। किसी आपराधिक मामले में विभागीय जाँच और सुनवाई एक साथ आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी, जब तक कि आपराधिक मुकदमे में आरोप गंभीर प्रकृति का न हो और उसमें तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल न हों। अपराध आम तौर पर सार्वजनिक (इस तरह के कर्तव्य) के उल्लंघन को दर्शाता है, जो आपराधिक कानून के तहत दंडनीय महज निजी अधिकारों से अलग है। जब आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो यह साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिभाषित साक्ष्य के अनुसार अपराध के सबूत के अनुसार होना चाहिए। विभागीय जांच का मामला इसके विपरीत है। विभागीय कार्यवाही में जांच, संबंधित वैधानिक नियमों या कानून के तहत परिभाषित उसके कदाचार के लिए उसे दंडित करने के लिए अपराधी अधिकारी के आचरण या कर्तव्य के उल्लंघन से संबंधित है। यह कि साक्ष्य अधिनियम के सबूत या प्रयोज्यता के सख्त मानक को बाहर रखा गया है, एक स्थापित कानूनी स्थिति है। विभागीय कार्यवाही में जांच अपराधी अधिकारी के आचरण से संबंधित है और उस संबंध में सबूत आपराधिक आरोप में अपराध जितना उच्च नहीं है। यह देखा गया है कि अनिवार्य रूप से विभागीय जांच शीघ्रता से की जानी चाहिए ताकि लोक प्रशासन में दक्षता को प्रभावित किया जा सके पूर्व में अभियोजन पक्ष को मानवीय आचरण की कसौटी पर युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला साबित करना होता है। विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक आपराधिक मुकदमे के समान

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नहीं है। साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम के मानक बिंदु से भी अलग है। विभागीय जाँच में आवश्यक साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम द्वारा विनियमित नहीं है। इन परिस्थितियों में, यह देखना आवश्यक है कि क्या विभागीय जाँच आपराधिक मामले में मुकदमे में अपराधी को उसके बचाव में गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। यह हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है जिस पर प्रत्येक मामले में उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में, हमने देखा है कि आरोप दुर्घटना और उसके निवारण का पूर्वानुमान लगाने में विफलता का है। इसका धारा 304–ए और 338 आईपीसी के तहत अपराध की दोष–सिद्धता से कोई लेना–देना नहीं है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाना सही नहीं था।"

14. सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एन. सरकार एवं अन्य बनाम एस. वेल राज में इस प्रकार कहा है:–

7. न्यायाधिकरण का यह मानना भी गलत था कि उतरवादी के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया था, वह कदाचार नहीं था। नियमों के नियम 2 के तहत, सेवा के किसी सदस्य को "उचित और पर्याप्त कारण" के आधार पर दंड दिया जा सकता है। इसलिए, न्यायाधिकरण को इस दृष्टिकोण से मामले की जाँच करनी चाहिए थी। उत्तरवादी जब 7–7–1984 को शाम 8 बजे पुलिस उपनिरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ, तो वह ड्यूटी पर था। वह पुलिस उपनिरीक्षक को यह बताने के लिए पुलिस स्टेशन लौटा था कि उसने पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार क्या किया। उस समय वह नशे की हालत में पाया गया और "मुफ्ती" में था। उसने पुलिस उपनिरीक्षक के समक्ष यह भी स्वीकार किया था कि उसने "अरक" पीया था और इसी कारण से उससे शराब की गंध आ रही थी। इस संदर्भ में, यह विचार करना आवश्यक था कि क्या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने के लिए "उचित और पर्याप्त कारण" थे। पुलिस बल को एक अनुशासित बल होना चाहिए और सार्वजनिक बल के एक सदस्य को अनुशासित तरीके से व्यवहार करना चाहिए, खासकर जब वह ड्यूटी पर है। उत्तरवादी, हालाँकि उसे सरकारी काम से भेजा गया था और वह ड्यूटी पर था, "मुफ़्ती" में और "अरक" खाकर नशे की हालत में थाने लौटा। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को यह बताने के लिए थाने लौटा था कि उसे जो काम सौंपा गया था, उसका क्या हुआ। इन परिस्थितियों में, उसके व्यवहार को घोर कदाचार माना जाना चाहिए। यह समझना मुश्किल है कि न्यायाधिकरण कैसे विपरीत दृष्टिकोण अपनाएँ। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना संभव नहीं है कि उस पर अधिरोपित दंड अत्यधिक था। अपीलीय प्राधिकारी ने उसके पिछले रिकॉर्ड पर विचार करने और प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध उसे कारण बताने का अवसर देने के बाद दंड का आदेश पारित किया था। यद्यपि न्यायाधिकरण ने माना है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार जाँच नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गई थी, लेकिन यह इंगित नहीं किया गया है कि नियम की किस आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था। इसलिए, न्यायाधिकरण इस मामले में भी गलत था। परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वाद–व्यय पर कोई कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है "।

15. उपरोक्त कारणों से, इस विलम्ब के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका लगभग 8 वर्ष की अवधि के बाद दायर की है।

16. उपरोक्त कारणों से रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

"Translated by- Priyanshu Gupta"